न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 520/2022

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. जीवराजसिंह पुत्र स्वरूपाहि 2. जालमसिंह पुत्र स्वरूपसिंह 3. गिरधरसिंह पुत्र स्वरूपसिंह 4. गणपतसिंह पुत्र स्वरूपसिंह (जाति राजपूत, ग्राम हरसाणी, तह0 गडरारोड, बाडमेर)		1. हमीरसिंह पुत्र हरीसिंह 2. चेतनसिंह पुत्र हरीसिंह 3. नखतसिंह पुत्र हरीसिंह 4. जुगतसिंह पुत्र हरीसिंह 5. शोभसिंह पुत्र हरीसिंह 6. उम्मेदसिंह पुत्र हरीसिंह 7. ढेलकंवर पत्नी हरीसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम तुडबी, तह0 गडरा रोड, बाडमेर) 8. मालसिंह पुत्र मंगलसिंह 9. शैतानसिंह पुत्र मंगलसिंह 10.खमाणसिंह पुत्र विजयसिंह 11.हरीसिंह पुत्र अचलसिंह 12.धनसिंह पुत्र गजेसिंह 13.दलपतसिंह पुत्र उदेराजसिंह 14.नरपतसिंह पुत्र हाथीसिंह 15.भीखसिंह पुत्र नारायण सिंह 16.राणसिंह पुत्र हडमतसिंह 17.स्वरूपसिंह पुत्र आईदानसिंह (जाति राजपूत, निवासी ग्राम हरसाणी, तह0 गडरारोड, बाडमेर)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव, राजस्व आवेदन सं0 83/2018 दिनांक 17.05.2018

उपस्थित–

1. श्री एम0एल0 खत्री, वकील अपीलाण्ट
2. श्री लाधूराम पूनिया, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 7
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 8 से 17 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 23.04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 7–हमीरसिंह ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

गडरारोड के ग्राम तुडबी स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 1246, 2682/1233, 2680/1233, 2683/1233, 2685/1233, 2679/1233 व 1233 की उल्लेखित कुल रकबा भूमि 147 बीघा के चारो ओर पक्के नेखबंदी करवाने हेतु विप्रार्थी–रेस्पो0सं0 8 से 17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 7 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भू अभिलेख निरीक्षक हरसाणी को प्रार्थी के उल्लेखित खसरान की पैमाईश कर उसके चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया तथा उक्त आशय का पृथक से आदेश जारी कर इसकी प्रति तहसीलदार गडरारोड व थानाधिकारी पुलिस थाना गिराब को प्रेषित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट खसरा नं0 1232 के काबिल काश्तकार व खातेदार है। जिसके पडौस में उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 7 के उल्लेखित खसरान स्थित है। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 7 ने अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना बाले–बाले एकतरफा आदेश पारित करवा दिया तथा पुलिस इमदाद से अपीलांट की खातेदारी भूमि में पुरानी माठ हटाकर नई माठ बनायी जाने से उसके हित अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखने से पूर्व रेस्पो0–विप्रार्थीगण को कोई सूचना नही दी गई तथा विप्रार्थीगण को सुने बिना ही पत्रावली निर्णित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रार्थी–अपीलांट्स के पिता–स्वरूपसिंह के आवेदन पर उसके खसरान की नेखमबंदी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

का आदेश पारित किया गया था। जिसे रेस्पो0सं0 7 द्वारा न्यायालय हाजा में चुनौति दी जाने पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया, जो अभी तक लंबित हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 से 7 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम तुडबी स्थित उल्लेखित खसरान की भूमि का सीमाज्ञान करवाया गया था। जिसमें पडौसी खातेदारान द्वारा सहमत नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नेखमबंदी का आवेदन किया गया। जिसमें अपीलांट के पिता–स्वरूपसिंह को विप्रार्थी सं0 10 पर बतौर पक्षकार संयोजित किया गया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। उक्त नोटिस के पृष्ठ भाग पर स्वरूपसिंह द्वारा अनापत्ति व्यक्त की गई है। प्रकरण मे तहसीलदार गडरारोड द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट दिनांक 12.02.2019 के अनुसार दिनांक 07.02.2019 को वादी–प्रतिवादी सैडा पडौसियान की उपस्थिति में नेखमबंदी/पैमाईश की गई। वकील रेस्पो0 द्वारा फार्म नं0 3 के संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत कर अवगत कराया कि अपीलांट्स द्वारा पैमाईश के पत्थरों को तोड़ दिये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2020 के क्रम में उपखण्ड अधिकारी शिव के आदेश क्रमांक 185 दिनांक 07.10.2020 द्वारा गठित कमेटी द्वारा मौके पर पुनः पैमाईश बिन्दु कायम किए गये। जिसकी मौका फर्द दिनांक 12.02.2020 में उक्त खसरान की भूमि पर पडौसी ख0नं0 1247 व 1232 के खातेदारान के अतिक्रमण का उल्लेख है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पा0 सं0 1 से 7–हमीरसिंह वगैरा के आवेदन में अपीलांट्स के पिता स्वरूपसिंह को विप्रार्थी सं0 10 पर बतौर पक्षकार संयोजित किया गया था। जिनके द्वारा प्रस्तुत जवाब में स्पष्टतः यह उल्लेखित किया गया है कि "प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो मुझ विप्रार्थी सं0 10 को

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कोई आपत्ति नही है''। ऐसा ही तथ्य उन्हे जारी नोटिस के पृष्ठ भाग पर अंकित है। प्रकरण मे अपीलाधीन आदेश की पालना में मौके पर वादी–प्रतिवादी सैडा पडौसियान की उपस्थिति में नेखमबंदी/पैमाईश की जा चुकी है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स सारहीन होने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व आवेदन सं0 83/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23. अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

23.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर